संख्या- 07/1296/86-2017-57(सामान्य)/2017

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 16 जून, 2017

विषयः- प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध उपखनिज यथा बालू/मौरम आदि के रिक्त क्षेत्रों पर ई-टेण्डरिंग के माध्यम से अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा-पत्र (माइनिंग परमिट) स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-715/86-2017-57(सा)/2017 दिनांक 22.04.2017 के संदर्भ में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गयी ''उ0प्र0 खनन नीति 2017'' में नदी तल के उपखनिजों हेतु दीर्घ कालीन व्यवस्था के अन्तर्गत न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिजों के पट्टे स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। मानसून सत्र दिनांक 01.07.2017 से 30.09.2017 तक की अवधि में खनन कार्य प्रतिबंधित रहता है।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22.04.2017 के क्रम में किसी रिक्त क्षेत्र पर अल्प अवधि के लिए खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अब रि-टेण्डरिंग प्रकाशन की कार्यवाही न की जाय। रिक्त क्षेत्रों को खनन नीति के अनुसार दीर्घ कालीन व्यवस्था के अन्तर्गत, यथा निर्देश ई-टेण्डरिंग के माध्यम से, पट्टे पर स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,
राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1296(1)/86-2017**, तद्दिनांक :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
आत्मा राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in